आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 7(4)अकाद/ आकाशि / OAP/ 1673 दिनांक : 29-7-19

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : स्नातक पार्ट –II , III व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश नवीनीकरण 31.7.19 तक पूर्ण करने के सन्दर्भ में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विद्यार्थी हित एवं महाविद्यालय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक पार्ट–II, पार्ट–III व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा किसी कारणवश प्रोन्नत नहीं किया गया है अथवा प्रोन्नत विद्यार्थियों ने दिनांक 20.7.19 तक फीस जमा नहीं करवायी है, ऐसे शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु ई-मित्र पर पोस्टिंग व ई-मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा दिनांक 31.7.19 तक उपलब्ध रहेगी।

यह दृष्टव्य है कि प्रवेश नीति के बिंदु 5.3.1 के अनुसार प्रवेश नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31.7.2019 है। अतः आपसे अपेक्षित है कि अब तक फीस नहीं जमा कराने वाले प्रवेश पात्र शेष रहे अभ्यर्थियों का data ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक post किया जाना सुनिश्चित करें तथा इनको 31.7.2019 तक आवश्यक रूप से फीस जमा कराने हेतु सूचित करते हुए नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।

यह सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया से नियमित शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

29/7/19
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि :

वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

29/7/19
(डॉ. आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)